JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483
Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2746255 : Fax No : 0291-2742228
E-mail: seppmju@gmail.com Web site: www.jdvvnl.com

क्रमांक : जोडि / अति.मु.अ. (मु.) / अधी.अभि.(पीपीएम) / जोधपुर / अधि.अभि.(एसएण्डआई) / फा.कृषि / प्रे० 1472 दिनांक 30/8/18

आदेश

विषयः– "आर.ई.ओ.–246 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बाबत्।

सन्दर्भः– जे.पी.डी. / अध्यक्ष एवं प्र. निदेशक / अधी.अभि.(आर.ई.) / अधि.अभि. (II) / प. / प्रे. 646 दिनांक 24.08.2018

अध्यक्ष, डिस्कॉम्स् के द्वारा जारी आर.ई.ओ.–281 के सन्दर्भ में एवं जोधपुर डिस्कॉम के आदेश आर.ई.ओ.–246 दिनांक 18.06.2018 के अनुसार कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 5.2 में यह प्रावधान है कि "11 केवी फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमाण्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित सहायक अभियंता फीडर के सिस्टम में सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छः माह की अवधि में सिस्टम में सुधार करने के उपरान्त ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के छः माह की अवधि समाप्त होने के बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार की योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगें किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किये जायेंगें"।

अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर किसानों की समस्या के समाधान हेतु व वर्ष 2018–19 में लक्षित 75000 कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 5.2 के निहित प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर यह प्रावधान किया जाता है कि 11 केवी फीडर पर सुधार करने के उपरान्त व सुधार के दौरान यदि फीडर का वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक है तो भी कृषि कनेक्शन जारी करने में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

30.8.18
(एम.आर. मीणा)
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है : –

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त / तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर जोन / बीकानेर जोन / बाडमेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआईए / बी एण्ड आर / डब्लयू एण्ड एम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
7. प्राविधिक सहायक, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (नगर / ज़िला / पवस / सतर्कता / टीडब्ल्यू / वाणिज्य / एमएम / एमएण्डपी / बीएफएल), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / सिरोही / जालौर / जैसलमेर / बाड़मेर / बीकानेर / चुरू / हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर को पालनार्थ।
9. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. निजी सचिव– माननीय.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
12. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
13. जनसंपर्क अधिकारी जोविविनिलि, जोधपुर।

30.8.18
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर